कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :– एफ.12(3)(15)राज / 11 / दिनांक :– – मई, 2011

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक नव विद्यापीठ शिक्षण संस्थान रावतसर जरिये सचिव जयकिशन पुत्र निराणाराम के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करनें पर तहसीलदार रावतसर, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तिन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है :–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :– नव विद्यापीठ शिक्षण संस्थान रावतसर जरिये सचिव जयकिशन पुत्र निराणाराम
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :– नहीं
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–
   (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :– ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर।
   (ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में) :– ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर के खसरा नम्बर 202 की 0.443 हैक्टर {4430 वर्गमीटर}
   (ग) प्रत्येक खसरा के क्षैत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षैत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में). :– ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर के खसरा नम्बर 202 की 0.443 हैक्टर {4430 वर्गमीटर}

   टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुऐ, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :–
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– **शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ**
5. संदेय प्रीमियम की दर :– प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 8,53,875 / – रूपये प्रति हैक्टर है, जो संदेय प्रीमियम 5 / – रूपये प्रति वर्गमीटर से अधिक होनें के कारण वर्तमान डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत की दर से 8.54 / – प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :–

चालान संख्या	दिनांक	रूपये
24	12.05.2011	18,916 / –
25	12.05.2011	18,916 / –
	कुल	37,832 / –

7. चालान की संख्या तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :– शुन्य
8. चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :– शुन्य
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :– नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :– – –

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :-

(i) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करनें में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(iii) नियम – 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(v) इंडियन रोड़ काग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष के हित में छोड़नी होगी। तथा निर्धारित सीमा के पश्चात की निर्माण किया जावेगा।

(vi) यदि उक्त संस्थान तकनीकी संस्थान है तो समस्त पैरामिटर शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवम् उप नियमों के मानदण्डों के अनुसार अथवा शिक्षा विभाग के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जावेगा।

(vii) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।

(viii) उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिये प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

Dist. Collector Hanumangarh

– ह. –
जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक :– एफ.12(3)(15)राज/11/3708-14 दिनांक :– 17 – मई, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित सम्परिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जानें हेतु सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता को अपनें स्तर से निर्देशित करनें का श्रम करें।
2. उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रावतसर।
3. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को उनके पत्रांक रूपान्तरण/2010/843 दिनांक 24.03.2011 तथा टी.आर.ए./11/527 दिनांक 12.05.2011 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त सपरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख मे अंकन कर करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर को उनके पत्र क्रमांक 634 दिनांक 28.04.2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
5. सचिव ग्राम पंचायत पल्लु पंचायत समिति रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. आवेदक नव विद्यापीठ शिक्षण संस्थान रावतसर जरिये सचिव जयकिशन पुत्र निराणाराम।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,